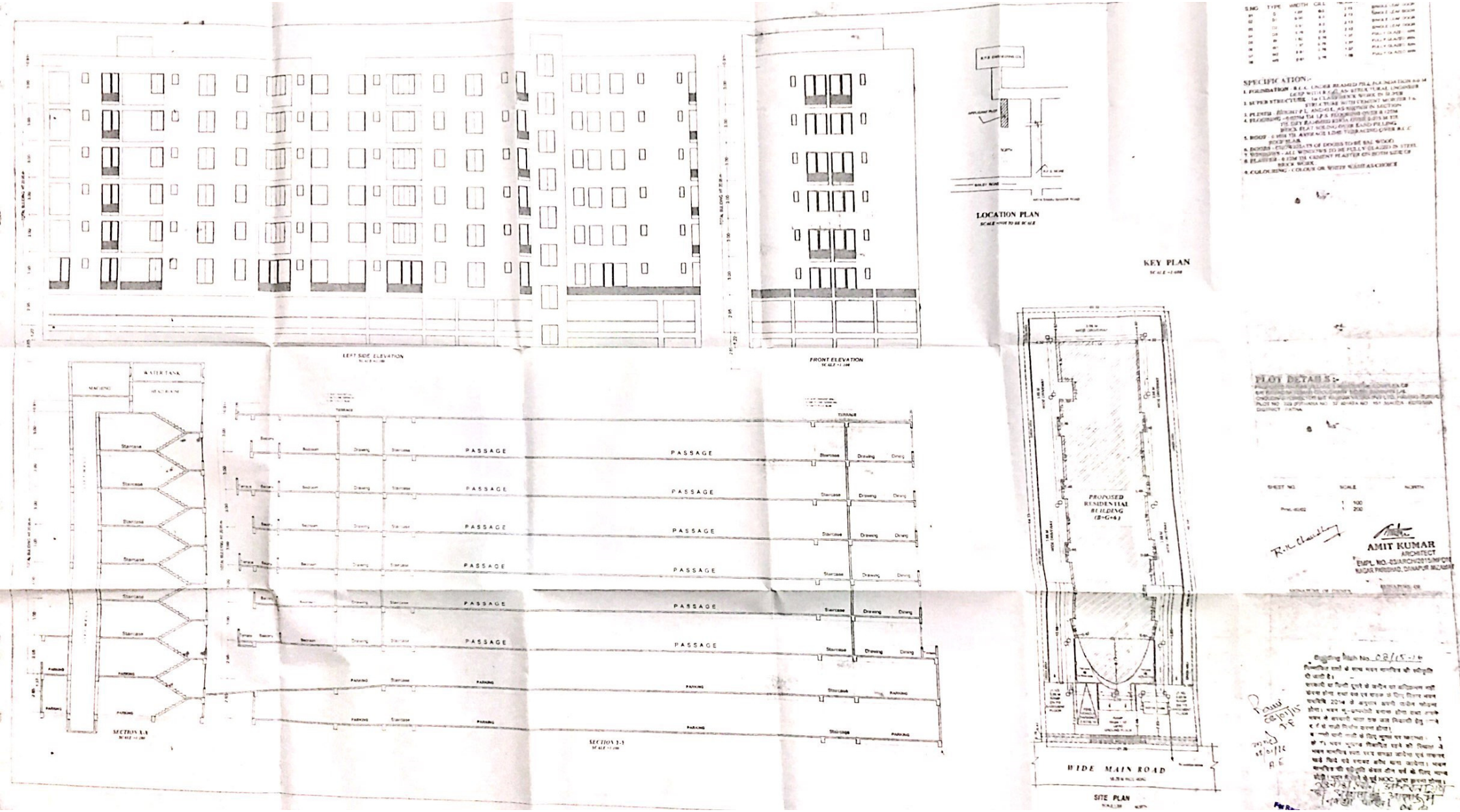
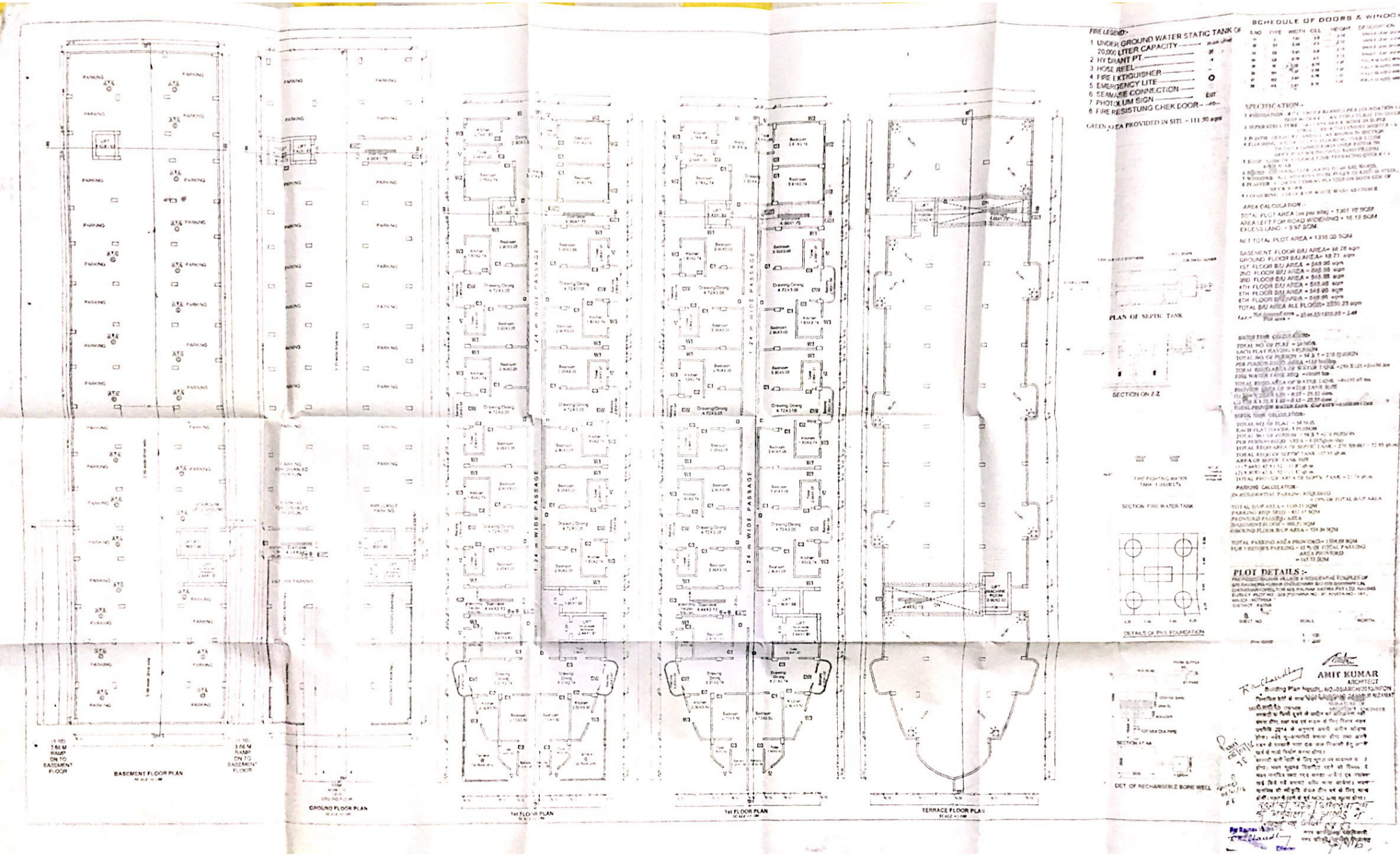


Sample output to test PDF Combine only



Sample output to test PDF Combine only

ज्ञापांक

दिनांक

फार्म-VII-क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 03 तिथि- 07.10.2015 के संदर्भ में

श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, डायरेक्टर रौनक वाटिका प्रा0 लि0 पता- 108 इमारत फिरदौस एक्जीबीशन रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुन निर्माण

(ग) विद्यमान भवन मे परिवर्तन या परिवर्धन

(घ) भवन के उपयोग मे परिवर्तन

दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/संथाल परगना विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लौट नं0- 329(P) खाता नं0- 151, तौजी नं0- बिहार सरकार, थाना नं0- 37, वार्ड नं0- 39, मौजा- कोथवाँ, पता- श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, वल्द श्री बनवारी लाल चौधरी, रौनक वाटिका प्रा0 लि0 108 इमारत फिरदौस एक्जीबीशन रोड, पटना के द्वारा निम्नलिखितशर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0- 08/15-16 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृथकता के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना मे दर्शाया गया 1104.88 वर्ग मीटर का खाली स्थान एवं 10% हरा पट्टी 133.5 वर्ग मीटर खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 60 फीट चौड़ी के वर्तमान पथ्य मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं अधिपत्य में अक्षय है।

For Raunak Vatika P...
R.K. Chaudhary
Director

Sample output to test PDF Combine only

(घ) सड़क को मानक चौडाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारी/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम 2012 के अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजन [illegible] के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत [illegible] क्षेत्र मे 1.23 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप मे देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिन्यास के कारण [illegible] हक, हित का बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन [illegible] के [illegible] का अक्षरस: अनुपालन करना होगा।

(ट) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई दस्तावेज या तथ्य गलत पाया जाता है या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

08/01/16
कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

08/01/16
सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

[illegible]
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक -/दिनांक -
प्रतिलिपि - श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, पिता-बनवारी लाल चौधरी मौजा [illegible] के सूचनार्थ प्रेषित।

Sample output to test PDF Combine only